

### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936

No. 384]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

सा.का.िन.534(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 27, धारा 41, धारा 50 और धारा 110 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.िन. संख्यांक 187 (अ), तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अविध के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 14 मार्च, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी:

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56, धारा 64, धारा 88 की उपधारा 14 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (13वां संशोधन) नियम, 2014 है।

2991 GI/2014 (1)

- (2) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय मोटर यान (13वां संशोधन) नियम, 2014 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के अवसान पर, नियम 115ख में,—
  - "(i) मद ड. के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—
    - " ड. सीएनजी यान या किट संघटक जिसके अंतर्गत उनका प्रतिष्ठापन भी है, उपाबंध IX में दी गई सुरक्षा जांचों के अनुरूप होंगे। ";
  - (ii) उपाबंध IX के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :—

### " उपाबंध IX

# [नियम 115ख की मद ङ [देखें]

# आंतरिक दहन ईंजन यानों में सीएनजी ईंधन के उपयोग के लिए (एआईएस 028) और भारतीय गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अनुसार सुरक्षा जांच

क्र.सं.	सीएनजी किट संघटक	प्रमाणीकरण/सत्यापन प्राधिकरण	एआईएस 028 का खंड/ अन्य	
			नियम, मानक आदि	
1.	सिलैंडर*	विदेशी मेक की दशा में पीईएसओ, नागपुर द्वारा	गैस सिलैंडर नियम, 2004	
		प्रमाणिकरण या पृष्ठांकन		
1.1	यानों पर सिलैंडर फिट करना	जांच अभिकरण द्वारा एआईएस 028 के अनुसार सत्यापन	एआईएस 028 का खंड 2.3,	
		करना	खंड 2.5 और खंड 2.6	
2	सिलैंडर वाल्व*	विदेशी मेक की दशा में पीईएसओ, नागपुर द्वारा	आईएस: 3224 या गैस	
		प्रमाणिकरण या पृष्ठांकन	सिलैंडर नियम, 2004	
3.	विनियामक*	जांच अभिकरण द्वारा आईएस : 15713-2006 या	आईएस : 15713-2006 या	
		आईएसओ-15500 के अनुसार संघटक की जांच ।	आईएसओ-15500	
			·	
		   वैकल्पिक रूप से जांच अभिकरण प्रत्यायित जांच		
		प्रयोगशाला द्वारा जारी पूर्वोक्त मानक के अनुरूप जांच		
		प्रमाण पत्र या रिपोर्ट का सत्यापन करेगा ।		
4.	गैस-वायु मिक्सर <sup>*</sup>	जांच अभिकरण द्वारा आईएस : 15714-2006 या	आईएस : 15714-2006 या	
т.	। गस-वायु ।मक्सर	आईएसओ-15500 के अनुसार संघटक की जांच	आईएसओ-15500	
		विकल्पिक रूप से जांच अभिकरण प्रत्ययित जांच	31129(1311-10000	
		प्रयोगशाला द्वारा जारी पूर्वोक्त मानक के अनुरूप जांच		
		प्रमाण पत्र या रिपोर्ट का सत्यापन करेगा ।		
5.	पेट्रोल परिनालिका वाल्व <sup>*</sup>	जांच अभिकरण द्वारा आईएस : 15717-2006 या	आईएस : 15717-2006	
0.	पट्टाल पारना।लका वाल्व	आईएसओ-15500 के अनुसार संघटक की जांच	31125(1.10717.2000	
		वैकल्पिक रूप से जांच अभिकरण प्रत्ययित जांच		
		प्रयोगशाला द्वारा जारी पूर्वोक्त मानक के अनुरूप जांच		
		प्रमाण पत्र या रिपोर्ट का सत्यापन करेगा ।		
5.1	गैस परिनालिका वाल्व*	जांच अभिकरण द्वारा आईएस : 15712-2006 या	आईएस : 15712-2006	
J, 1	्रास पारना।लका वाल्व	आईएसओ-15500 के अनुसार संघटक की जांच	9112711. 10112-2000	
		विकल्पिक रूप से जांच अभिकरण प्रत्ययित जांच		
		प्रयोगशाला द्वारा जारी पूर्वोक्त मानक के अनुरूप जांच	या २,५५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,५,	
		प्रमाण पत्र या रिपोर्ट का सत्यापन करेगा ।	आईएसओ-15500	
		अगाय येन या रियाद यम सस्यायम यरमा ।		

6.	फिलिंग कनेक्शन (एनजैडएस एंड एनजीवी-1 किस्म)	यान पर प्रतिष्ठापन की जांच एआईएस 028 के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा की जाएगी	एआईएस 028 के खंड 2.2.2, खंड 2.2.3, खंड 2.2.4, खंड 2.2.5 और खंड 2.2.6
7.	वातायन	जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन किया जाना है	एआईएस 028 का खंड 2.4.2
8.	नलिका की जांच	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा आईएस: 15715-2008 के अनुसार किया जाएगा।	आईएस: 15715-2008
9.	सीएनजी ईंधन लाईन		
9.1	100kPa* से अधिक उच्च दाब		
9.1.1	2.15 MPa* से अधिक		
	-कठोर पाइप	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा आईएस: 15716-2006 के अनुसार किया जाएगा।	आईएस: 15716-2006
	-नम्य हौज	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा एआईएस: 28 के अनुसार किया जाएगा।	एआईएस 028 के खंड 3.1.3.1, खंड 3.1.3.2, और खंड 3.1.3.3.1,
9.1.2	100kPa* से अधिक और 2.15 MPa*से कम	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा आईएस: 15722-2006 के अनुसार किया जाएगा।	आईएस: 15722-2006
9. 2	निम्न दाब-100kPa* से कम	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा आईएस: 15722-2006 के अनुसार किया जाएगा।	आईएस: 15722-2006
9.3	जोड़ और संयोजन*	जांच अभिकरण द्वारा जांच	एआईएस 028 का खंड 3.1.4.1, खंड 3.2.1 (ख)
10.	कम्पार्टमेंट या सब-कम्पार्टमेंट	संघटक की जांच या प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट का सत्यापन जांच अभिकरण द्वारा आईएस: 15720-2008 के अनुसार किया जाएगा।	आईएस: 15720-2008
11.	सीएनजी प्रणाली के प्रतिष्ठापन के लिए सुरक्षा जांच	जांच अभिकरण द्वारा सुरक्षा जांच एआईएस 028 के अनुसार की जाएगी	एआईएस 028 के सुसंगत खंड

'मूल देश के प्रत्यायित जांच अभिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रत्यायित जांच प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्ट को भी स्वीकार किया जा सकता है।

टिप्पण 1- केवल समय-समय पर संशोधित मानक जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, अनुपालन के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे।

टिप्पण 2- इन नियमों के कार्यान्वयन से पूर्व जारी अनुमोदनों का पूर्वोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए बिना पुनर्वेधिकरण के विस्तार किया जाएगा।"

[फा. सं. आरटी-11036/77/ 2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणः**—मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 504 (अ), तारीख 16 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2014

**G.S.R. 534(E).**—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sections 27, 41, 50 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 187(E), dated the 14th March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Gazette notification in which the said notification was published were made available to the public on the 14th March, 2014;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 56 and 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the said Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2014.
  - (2) Subject to the other provisions of these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. On and after the expiry of one year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2014, in rule 115B,—
  - (i) for item E, the following item shall be substituted, namely:—
    - "E. CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure IX.";
  - (ii) for Annexure IX, the following Annexure shall be substituted, namely:—

### "ANNEXURE IX

### [See item E of rule 115B]

# Safety Checks for use of CNG Fuels in internal combustion engined vehicles (as per AIS 028) and Indian Gas Cylinder Rules, 2004

Sr. No.	CNG Kit Component	Certifying /Verifying Authority	Clause of AIS 028 / Other Rules, Standards, etc.
1	Cylinder*	PESO, Nagpur to certify or endorse in case of foreign make	Gas cylinder rules, 2004
1.1	Fitment of cylinder on vehicle	Test agency to verify as per AIS 028	Clause no. 2.3, 2.5 and 2.6 of AIS 028
2	Cylinder valves*	PESO, Nagpur to certify or endorse in case of foreign make	IS: 3224 or Gas cylinder rules 2004
3	Regulator*	Testing of the component as per IS:15713-2006 or ISO-15500 by test agency.  Alternatively, test agency to verify the test	IS: 15713-2006 or ISO-15500
		certificate or report conforming to the above	

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

		standard issued by accredited testing laboratory.	
4	Gas-Air Mixer*	Testing of the component as per IS:15714-2006 or ISO-15500 by test agency.	IS: 15714-2006 or ISO-15500
		Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	
5	Petrol Solenoid Valve*	Testing of the component as per IS: 15717-2006 by test agency.	IS: 15717-2006
		Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	
5.1	Gas Solenoid Valve*	Testing of the component as per IS: 15712-2006 or ISO-15500 by test agency.	IS: 15712-2006 or ISO-15500
		Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	
6	Filling Connection (NZS & NGV-1 type)	Installation on vehicle to be checked by test agency as per AIS 028	Clauses 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 and 2.2.6 of AIS 028
7	Ventilation	Test agency to verify.	Clause 2.4.2 of AIS 028
8	Testing of Conduit*	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15715-2008 by test agency.	IS: 15715-2008
9	CNG fuel line		
9.1	High pressure – exceeding 100 kPa*		
9.1.1	Exceeding 2.15 MPa		
	- Rigid pipe	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15716-2006 by test agency.	IS: 15716-2006
	- Flexible hose	Testing of the component or verification of	3.1.3.1, 3.1.3.2 and
		certificate or test report as per AIS -28 by test agency.	3.1.3.3.1 of AIS-028
9.1.2	Exceeding 100 kPa and less than 2.15 MPa	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15722-2006 by test agency.	IS: 15722-2006
9.2	Low pressure - Not exceeding 100 kPa*	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15722-2006 by test agency.	IS: 15722-2006
9.3	Joints and connections*	Testing by test agency.	Clause 3.1.4.1, 3.2.1 (b) of AIS 028
10	Compartment or Sub-compartment*	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15720-2008 by test agency.	IS: 15720-2008
11	Safety check for installation of CNG system	Safety checks to be carried out by test agency as per AIS 028.	Relevant clauses of AIS 028

- \* Certificate issued by accredited testing agency of the country of origin or a report issued by internationally accredited test laboratory may also be accepted.
- **NOTE 1**—Only the standards, as amended from time to time, as mentioned above, shall be referred for compliance.
- **NOTE 2**—Approvals issued prior to implementation of these rules shall be extended for compliance to above requirements without revalidation."

[F. No. RT-11036/77/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 504(E), dated 16th July, 2014.